

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्या: /उ0प्र0कौ0वि0मि0/एस/2021-22/का.आ./1656

दिनांक:- 17 मई, 2021

कार्यालय – झाप

विषय:- फलैक्सी प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रस्तावों का अनुमोदन।

उ0प्र0 कौशल विकास नीति, 2013 से सम्बन्धित शासनादेश संख्या: 2338/89-व्या0 शि0-2013-183(एम)/2008 दिनांक 05.07.2013 के प्रस्तर -14 में ख्याति प्राप्त औद्योगिक इकाईयों को विशिष्ट ट्रेडस में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु फलैक्सेबुल एम0ओ0यू0 के माध्यम से अनुबंधित किये जाने का प्राविधान है।

2. फलैक्सी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की स्वीकृति के सम्बन्ध में राज्य संचालन समिति द्वारा अपनी 14वीं बैठक दिनांक 30.03.2021 में स्वीकृत व स्थापित मानकों के परिप्रेक्ष्य में फलैक्सी प्रशिक्षण प्रदाताओं को अनुबंधित करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर यथोचित निर्णय लेने हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः भविष्य में फलैक्सी प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रस्ताव निर्णयार्थ राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्या: 177 /उ0प्र0कौ0वि0मि0/एस/2021-22/का.आ./1656

तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
3. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
4. प्रबंधक (आई0टी0), उ0प्र0 कौशल विकास मिशन को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालयादेश पंजिका।
6. गार्ड फाइल।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक